(दिनांक 22-07-2023 को आयोगकीवेबसाइट https://ssc.nic.in पर अपलोडकिए जाने हेतु)

भारतसरकार,
कार्मिक, लोकशिकायतऔरपेंशनमंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारीचयनआयोग,
ब्लॉकस॰ 12, केन्द्रीयकार्यालयपरिसर,
लोधीरोड, नईदिल्ली – 110003

Government of India,
Min. of Personnel, Public Grievances & Pensions,
Department of Personnel and Training
Staff Selection Commission
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110003

विज्ञप्ति

दिल्लीपुलिसऔरकेंद्रीयसशस्त्रपुलिसबलमेंउप-निरीक्षकपरीक्षा, 2023

ऑनलाइनआवेदनों को जमाकरने की तारीख	22.07.2023 से 15.08.2023
ऑनलाइन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख औरसमय	15.08.2023 (2300 बजे)
'आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु विंडो'और सुधार राशि के ऑनलाईन भुगतान की तारीख	16.08.2023 से**17.08.2023** (2300 बजे)
कंप्यूटरआधारितपरीक्षा का कार्यक्रम	अक्तूबर, 2023

"**सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करनेके लिए प्रोत्साहित किया जाता है.**"

F.No. HQ-PPII03(3)/1/2023-PP_II: कर्मचारीचयनआयोग**दिल्लीपुलिसऔरकेंद्रीयसशस्त्रपुलिसबलों (के.स.पु.ब.) मेंउप-निरीक्षकों (उ.नि.)**कीभर्तीकेलिएएकखुलीप्रतियोगीपरीक्षाआयोजितकरेगा। दिल्लीपुलिसकेकांस्टेबलों, हेडकांस्टेबलोंऔरसहायकउप-निरीक्षकों में से विभागीयअभ्यर्थी जिनकी **पैरा 5.1** पर दी गई निर्धारित तारीख को न्यूनतमसेवा तीनवर्षहो और अधिकतम आयु 30 वर्ष (अपिवकेलिए 33 वर्षऔरअजा/अजजा केलिए 35 वर्ष) सेअधिकन हो, वे भी उप-निरीक्षक(कार्यकारी)-पुरूषकी खुली और विभागीय रिक्तियोंकोभरनेकेलिएआवेदनकरसकते हैं। पदोंकाविवरणनिम्नानुसारहै:

1.1 **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक(सामान्य ड्यूटी) :** इस पद का वेतनमान स्तर-6 (35400-1,12,400/- रूपए) है और यह समूह 'ख' (अराजपत्रित), गैर अनुसचिवीय के रूप में वर्गीकृत है।

1.2 **<u>दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक (कार्यकारी)- (पुरुष/महिला):</u>** इस पद का वेतनमान स्तर-6 (35400-1,12,400/- रूपए) है और यह दिल्ली पुलिस द्वारा समूह 'ग' (अराजपत्रित) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2. <u>अनुमानित रिक्तियां</u> :

दिल्लीपुलिसमेंउप-निरीक्षक (कार्यकारी) –पुरुष

विवरण	अना.	अ.पि.व	अ.जा.	अ.ज.जा.	आ.क.व	कुल
खुली	39	21	12	06	10	88
भूतपूर्वसैनिक	03	02	01	01	0	07
भूतपूर्वसैनिक (विशेष श्रेणी)	02	01	0	0	0	03
विभागीयअभ्यर्थी	04	03	01	02	01	11
कुल	48	27	14	09	11	109

दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक (कार्यकारी)- महिला

विवरण	अना.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	आ.क.व.	कुल
योग	24	13	07	04	05	53

केंद्रीयसशस्त्रपुलिसबलों (के.स.पु.ब.) मेंउप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी)

केसपुब	लिंग	अना	आ.क.व.	अ.पि.व	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	योग	भूपूसै @10%
सी.सु.ब.	पु.	43	11	29	16	08	107	**113**	**11**
	म.	02	01	02	01	0	06		
के.औ.सु.ब	पु.	231	56	153	85	42	567	**630**	**63**
	म.	26	06	17	09	05	63		
के.रि.पु.ब	पु.	319	79	213	118	59	788	**818**	**82**
	म.	12	03	08	05	02	30		
भा.ति.सी.पु	पु.	21	10	13	07	03	54	**63**	**06**
	म.	04	02	02	01	0	09		
स.सी.ब.	पु.	38	09	25	11	02	85	**90**	**09**
	म.	0	0	02	03	0	05		
कुल	पु.	652	165	433	237	114	1601		

	म.	44	12	31	19	07	113	**1714**	**171**

2.1. के.स.पु.ब. मेंउपनिरीक्षक केपदोंपरनियुक्तिकेलिएचुनेगएअभ्यर्थी भारतमेंकहींभीसेवाकरनेकेलिएउत्तरदायीहैं।

2.2 आयोग इस परीक्षा के लिए न तो राज्य-वार, क्षेत्र-वार, अंचल-वाल, नगर-वार आदि रिक्तियों का संग्रहण करता है और न ही उनके अनुसार अभ्यर्थियों का आबंटन करता है।

3. <u>पदोंकाआरक्षणऔरउपयुक्तता:</u>

3.1 के.स.पु.ब., गृह मंत्रालय (एमएचए) और दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित और संप्रेषित पदों की सभी श्रेणियों के लिए, अनुसूचितजाति (अ.जा) / अनुसूचितजनजाति (अ.ज.जा.) / अन्यपिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) / आर्थिकरूपसेकमजोरवर्गों (आ.क.व.), भूतपूर्व सैनिकों आदिके लिएयथा-प्रयोज्यआरक्षण मौजूदासरकारी आदेशों, नियमों व विनियमों, दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

3.2 आयोगविभिन्नपदोंकेलिए गृह मंत्रालय (के.स.पु.ब.) और दिल्ली पुलिस द्वारारिपोर्टकीगईरिक्तियोंकेअनुसारअभ्यर्थियों काचयनकरताहै। के.स.पु.ब., गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस कीरिक्तियोंकीसंख्यातयकरनेमेंआयोगकीकोईभूमिकानहींहै। आरक्षणनीतिकाक्रियान्वयन,आरक्षणरोस्टरकारख-रखाव औरविभिन्नश्रेणियोंकेलिएरिक्तियोंकानिर्धारणकरना के.स.पु.ब., गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस केकार्यक्षेत्रमेंआताहै।

3.3 **दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक (कार्यकारी)**के पद के लिए भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों की विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण उपलब्ध है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

3.3.1 भूतपूर्वसैनिकोंकेकोटेमेंसे, 50%ऐसा कोटाभूतपूर्वसैनिकोंकीनिम्नलिखितश्रेणियोंकेलिएआरक्षितहोगा:

3.3.1.1 विशेष बल/राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (विशेष कार्रवाई समूह), में सेवा की गई हो,

या

3.3.1.2 कमांडो कोर्स में"अर्हताप्राप्त अनुदेशक" ग्रेडिंगप्राप्त की हो,

या

3.3.1.3 नौसेना/वायुसेनाकेअधिकारीजिन्होंनेविशेषीकृतकमांडोप्रकारकी यूनिटों मेंकामकियाहो ।

3.3.2 यदि बिंदु **3.3.1.1, 3.3.1.2 और 3.3.1.3** के अंतर्गत श्रेणियोंमेंभूतपूर्वसैनिकोंकीपर्याप्तसंख्याउपलब्ध नहीं होती है तो खाली रह गई रिक्तियों को अन्यउपलब्धपूर्वसैनिक अभ्यर्थियों से भरा जाएगा ।

4. <u>राष्ट्रीयता / नागरिकता</u> : अभ्यर्थी कोनिम्नलिखित में सेहोनाचाहिए :

4.1 भारतकानागरिक, या

4.2 नेपाल की प्रजा, या

4.3 भूटानकी प्रजा, या

4.4 बशर्तेकिउपरोक्त **4.2 और 4.3** श्रेणियोंकाअभ्यर्थी ऐसा व्यक्तिहोगाजिसकेपक्षमेंभारतसरकारद्वारापात्रताकाप्रमाणपत्रजारीकियागयाहो।

4.5 ऐसे अभ्यर्थी जिनके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, कोपरीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, परन्तु भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा ।

5. **<u>आयुसीमा (दिनांक 01.08.2023 के अनुसार)</u>:**

5.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 14017 /70/87-Estt.(RR), दिनांकित 14.07.1988 के प्रावधानों के अनुसार आयु गणना के लिए निर्णायक तिथि 01.08.2023 निर्धारित की गई है। पदों के लिए आयु सीमा 20-25 वर्ष है; अर्थात आवेदन करने हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1998 से पहले और 01.08.2003 के बाद नहीं होना चाहिए।

5.2 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों को छोड़कर, विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में अनुमत्य छूट कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 15012/2/2010-Estt.(D), दिनांकित 27.03.2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार है:

कोड	श्रेणी	ऊपरीआयुसीमा के अतिरिक्त आयु में अनुमत्य छूट

01	अ.जा./अ.ज.जा.	5 वर्ष
02	अ.पि.व.	3 वर्ष
06	भूतपूर्वसैनिक (भू.पू.सै.)	अंतिम तिथि को वास्तविकआयु से प्रदत्त सैन्यसेवा घटाने के बाद 3 वर्ष ।
दिल्लीपुलिसमेंउप निरीक्षक केपदकेलिए (श्रेणीकोड -12 और 13)		
12	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो।	35 वर्षकीआयुतक
13	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अ.जा./ अ.ज.जा.)	40 वर्षकीआयुतक
केवलदिल्लीपुलिसकीरिक्तियोंकेलिए दिल्लीपुलिसकेविभागीयअभ्यर्थी (श्रेणीकोड -17, 18 और 19)		
17	विभागीय अभ्यर्थी (अनारक्षित) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो।	30 वर्षकीआयुतक
18	विभागीय अभ्यर्थी(अपिव) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो।	33 वर्षकीआयुतक
19	विभागीय अभ्यर्थी (अजा/अजजा) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो	35 वर्षकीआयुतक

5.3 आयोग द्वारा आयु के निर्धारण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई वही जन्म तिथि स्वीकार की जाएगी जो मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्रों में दर्ज है और बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसे स्वीकार किया जाएगा।

5.4 ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ'पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं । तथापि,कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त,2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था (आर) में यथा-उल्लिखितानुसार वह उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकता / सकती है, यदि वह सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा करता करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है।

5.5 सशस्त्रसेनाओंमेंएकभूतपूर्वसैनिककी "कालअपसर्विस"कीअवधिआयुमेंछूटप्राप्तकरनेकेउद्देश्यसेनियमानुसारसशस्त्रसेनाओंमेंप्रदत्तसेवाकेरूपमेंभीमानीजाएगी।

5.6

आरक्षणकेलाभोंकोप्राप्तकरनेकेप्रयोजनसेभूतपूर्वसैनिकमानेजानेकेलिएसंघकीतीनोंसशस्त्रसेनाओंकेकिसीभीसैनिककेलिएआवश्यकहैकिउसनेइसपद/ सेवाकेलिएआवेदनपत्रभेजनेकेसंगतसमयपरभूपूसैकादर्जापहलेहीहासिलकरलियाहो,अथवाउसेसक्षमप्राधिकारीसेप्राप्तदस्तावेजीसबूतोंकेद्वाराअपनीइसअर्जितहकदारीकोसिद्धकरनेकीस्थितिमेंहोनाचाहिएकिवहआवेदनप्राप्तिकीअन्तिमतिथिअर्थात **15.08.2023** सेएकवर्षकीनिर्धारितअवधिकेभीतरसशस्त्रसेनाओंकीविनिर्दिष्टसेवाकीअवधिपूरीकरलेगा।ऐसेअभ्यर्थियोंकोआवेदनप्राप्तिकीअंतिमतिथिसेएकवर्षकीनिर्धारितअवधिकेभीतरएकभूतपूर्वसैनिककादर्जाभीअवश्यप्राप्तकरलेना चाहिए।

5.7 एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौ सेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिमतारीख को संघ की सशस्त्र सेनाओं में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की है, उसे दिल्ली पुलिस में उपनिरीक्षक के समूह 'ग'पदों में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु पात्र समझा जाएगा। इसलिए, जिन गैर स्नातक भूतपूर्व सैनिकों ने आवेदन प्राप्त करने की अंतिमतारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, अथवा ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, वे किसी भी पद के लिए पात्र नहीं हैं।

5.8 **स्पष्टीकरण :**भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

5.8.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(i) जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा सेवानिवृत्त या निर्मुक्त यासेवा मुक्त किया गया हो, या

(ii) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा या अन्य अशक्तता पेंशन दी गईहो, या

(iii) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो,

या

5.8.2 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो

तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः निरंतर मूर्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी भीशामिल हैं;

अथवा

5.8.3 सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपनेनियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अशक्त होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है;

अथवा

5.8.4 ऐसे कार्मिक जो **14** अप्रैल,**1987** से पूर्व सैन्य डाक सेवा में **06** माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे;

अथवा

5.8.5 प्रांतीय सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र सेनाओंके वीरता पुरस्कार विजेता;

अथवा

5.8.**6** भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

5.9 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र व पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट / भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अनुमत्य नहीं है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

6. **प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारुप:**

6.1 राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रदिल्लीसरकारद्वारा सूचीबद्ध परन्तु केंद्रीय सूची में शामिल न किए गए अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रदिल्लीसरकार(रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वाराजारीअ.पि.व.प्रमाण-पत्रकेवलआरक्षणऔरआयुमेंछूटकेप्रयोजनार्थ दिल्लीपुलिसमेंउप निरीक्षक केपदकेलिएही स्वीकारकियाजाएगा। ऐसेअभ्यर्थियों कोदिल्लीपुलिसमेंकेवलउप निरीक्षक केपदकेलिएअ.पि.व.औरअन्यसभीपदोंकेलिएअनारक्षित / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मेंमानाजाएगा।

6.2 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, प्राधिकारी (प्राधिकारियों) द्वारा मांगे जाने पर उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्रधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा,अजा/अजजा/अपिव/आकव/भूपूसै श्रेणी के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी । प्रमाणपत्रों के प्रारुप **संलग्न** किए गए हैं। किसी अन्य प्रारूप में दिए गए प्रमाणपत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

6.3 अन्य पिछड़े वर्गके लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को यह अवश्य सुनिश्चित करना चहिए कि उसके पास जाति या समुदाय का प्रमाणपत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है/ आती है ।

6.4 आकव श्रेणी में आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास दिनांक 31.01.2019 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं 36039/1/2019-Estt(Res.) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आय के आधार पर जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आय और संपत्ति का वैध प्रमाणपत्र है।

6.5 अभ्यर्थी उपर्युकत के संबंध मेंयह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्रधिकारी द्वारा शैक्षिक योग्यता, जाति / श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती है और उन्हें संतोषजनक नहीं पाया जाता है। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा / अजजा / अपिव / आकव / भूपूसै / दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी आदि होने का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हेंवारित कर दिया जाएगा।

6.6 अजा / अजजा / अपिव / आकवआदि से संबंधित होने का दावा करने या कोई लाभ, जैसे शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि लेने हेतु निर्णायक तिथि, जहां अन्यथा उसका उल्लेख नहीं किया गया हो, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात **15.08.2023** होगी।

6.7 अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी से संबंधित हैं और संबंधित मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय इस तरह के प्रमाणपत्र मांगे जाने पर वे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके इसे साबित करने में सक्षम हैं, जिसमें विफल होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदनपत्र में भरी गई श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के लिए मांगकर्ता विभाग/संगठन/ *कार्यालय* द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो इसके लिए अभ्यर्थी पूरी तरह से उत्तरदायी होगा और इस संबंध में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अभ्यर्थी के अन्य किसी श्रेणी के अंतर्गत अभ्यर्थिता के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए, *अभ्यर्थी X ने अपने आवेदन पत्र मेंअपनी श्रेणी अपिव भरी है । तथापि, मांगकर्ता विभाग/संगठन द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान, X वैध ओबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में, मांगकर्ता विभाग/संगठन / कार्यालय द्वारा X की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।*

7. अनिवार्य शैक्षिक योग्यता (दिनांक 15.08.2023 को):

7.1 सभीपदोंकेलिएशैक्षिकयोग्यताकिसीमान्यताप्राप्तविश्वविद्यालयसेस्नातकडिग्रीयासमकक्षहै । जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक डिग्री या समकक्ष परीक्षा दी है, वे भी आवेदन कर सकते हैं, तथापि उन्हें कट-ऑफ तारीख अर्थात दिनांक 15.08.2023 तक अनिवार्य शैक्षिक योग्यता अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

7.2 भारत के राजपत्र में प्रकशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी आधिनियम द्वारा स्थपित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी आधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान किए गए प्रमाणपत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वत: ही मान्यता प्राप्त हैं, बशर्ते कि उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो। तदनुसार, यदि ऐसीडिग्रीको उसप्रासंगिकअवधिकेलिएमान्यतानहींदीगई हैजब अभ्यर्थियों द्वारा वह योग्यता हासिल की गई हो, तोशैक्षिकयोग्यताकेउद्देश्यकेलिएउसे स्वीकारनहींकियाजाएगा। यदि अभ्यर्थियों के पास मुक्त और दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्रदान की गई ऐसी डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र हैं, तो प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र मांगे जाने पर, अभ्यर्थियों को प्रासंगिक अवधि के लिए दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को दी गई मंजूरी भी प्रस्तुत करनी होगी।

7.3 इसके अतिरिक्तभारत के राजपत्र में दिनांक-23.06.2017 को प्रकाशित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम) विनियम, 2017 के भाग-III (8)(v) के अनुसार मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम माध्यम से अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत चिकत्सा, नर्सिंग, औषध विज्ञान, वास्तुकला और भौतिक चिकित्सा के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं हैं। तथापि, बी.टेकडिग्री /अभियांत्रिकी मेंडिप्लोमा, जोइग्नूद्वाराशैक्षणिकवर्ष 2009-10 तकनामांकितछात्रोंकोप्रदानकियागयाथा, जहाँकहींभीलागूहो,उसेमान्यमानाजाएगा।

7.4 जिनअभ्यर्थियों नेअभीतकशैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं की है, परन्तु शैक्षिकयोग्यताहासिलकर लेंगेऔरदिनांक **15-08-2023** की स्थिति के अनुसार इसके समर्थन में बोर्ड / विश्वविद्यालयसेदस्तावेजीसाक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे, वेभीपात्रहोंगे।

7.5 सभीअभ्यर्थी जोकंप्यूटर आधारित परीक्षा, शा.क्ष.प. /शा.मा.प. औरचिकित्सा परीक्षा या किसी अन्य परीक्षा चरण मेंयोग्यघोषितकिएगएहैं, उन्हें दिनांक **15-08-2023** को या उससे पहले न्यूनतमशैक्षणिकयोग्यताप्राप्तकरनेकेप्रमाणकेरूपमें सभीप्रासंगिकप्रमाणपत्र, जैसे-अंक तालिका/ प्रोविजनलडिग्री / डिप्लोमाप्रमाणपत्रमूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें विफल होने पर ऐसेअभ्यर्थियों कीअभ्यर्थिता रद्दकरदीजाएगी। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि शैक्षिक अर्हक परीक्षा का परिणाम कट्-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसे स्वीकार किया जाएगा । यहदोहरायाजाता हैकिबोर्ड / विश्वविद्यालयद्वारानिर्धारिततारीखतकअपेक्षितशैक्षणिकयोग्यताकापरिणामघोषितहो जानाचाहिए। बोर्ड / विश्वविद्यालयद्वारामहत्वपूर्णकट-ऑफतारीखतकपरिणामकोतैयार किएजाने मात्र सेशैक्षिक योग्यता कीआवश्यकतापूरी नहीं होती है।

7.6 समकक्षशैक्षणिकयोग्यतारखनेवालेअभ्यर्थियों केमामलेमें, यदि किसी प्राधिकारी द्वारा समकक्षता प्रमाणपत्र मांगा जाता है,, तो अभ्यर्थियों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रासंगिकसमकक्षताप्रमाणपत्रभीप्रस्तुत करना होगा । तथापि, ऐसेअभ्यर्थियों केचयनकेबारेमेंअंतिमनिर्णयसंबंधितप्रयोक्ता विभागों/ संगठनों / नियुक्तिप्राधिकारियोंद्वारालियाजाएगा।

7.7 **केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए दिल्लीपुलिसमेंउप निरीक्षक केपद हेतु** : दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षण के पद हेतु पात्र होने के लिएशारीरिकक्षमता परीक्षा औरमापपरीक्षा केलिएनिर्धारिततारीख परपुरुषअभ्यर्थियों के पासएलएमवी(मोटरसाइकिलऔरकार)का वैधड्राइविंगलाइसेंसहोनाचाहिए। जिनअभ्यर्थियों केपासएलएमवी (मोटरसाइकिलऔरकार) का वैधड्राइविंगलाइसेंसनहींहै, वे केवल के.स.पु.ब. में उप निरीक्षक के पद के लिए पात्र हैं।

8. आवेदनकैसेकरें :

8.1 आवेदनपत्रकेवल ऑनलाइनमोडमेंकर्मचारी चयन आयोगमुख्यालयकीआधिकारिकवेबसाइटअर्थात https://ssc.nic.in पर जमा करने होंगे । विस्तृतनिर्देशोंकेलिए, कृपया इसविज्ञप्ति के**अनुलग्नक- I** और **अनुलग्नक- II** का अवलोकन करें। एकबारगी पंजीकरणका औरऑनलाइनआवेदनकानमूनाप्रोफार्मा **अनुलग्नक-I क** और **अनुलग्नक-II क** के रूपमेंसंलग्नहैं ।

8.2 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदनपत्र में जेपीईजी / जेपीजी (20 केबीसे 50 केबी) प्रारूपमेंस्कैनकिएगएहाल ही के रंगीनपासपोर्ट आकार की फोटो अपलोडकरनी होगी। फोटोग्राफकीछविकाआयामलगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होनाचाहिए। शांतनु कुमार एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश, दिनांकित 05.03.2020 [रिट याचिका (सी) संख्या 2018 की 234], के अनुपालन में अभ्यर्थी की फोटो परीक्षा – विज्ञप्ति सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।फोटोग्राफबिना टोपी और बिना चश्मे का होना चाहिए। चेहरे का अग्र भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए ।

8.3. अभ्यर्थियों कोआवेदन पत्र जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फोटो दिए गए निर्देशों के अनुसार अपलोड किया गया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा 8.2 में दिए गए निर्धारित प्रारूप में फोटो अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसका आवेदन/ अभ्यर्थिता अस्वीकार या रद्द कर दी जाएगी। **फोटोग्राफ के स्वीकार्य / अस्वीकार्य नमूनों का चित्रण**भी **अनुबंध-XI** में किया गया है।

8.4 ऑनलाइनआवेदनजमाकरनेकीअंतिमतिथिऔरसमय 15.08.2023 (2300 बजे) है।

8.5 अभ्यर्थियों कोउनकेहितमेंसलाहदीजातीहैकिवे ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिमतिथिसेबहुतपहलेआवेदनजमाकर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क अत्यंत व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा हो सकती है और कर्मचारी चयन आयोग की बेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।

8.6 आयोगउक्तकारणोंसे याअपने नियंत्रणसेपरेकिसीअन्यकारणसेअभ्यर्थियों द्वारा अंतिमतिथिकेभीतरअपनेआवेदन जमा न करनेके लिए जिम्मेदारनहींहोगा।

8.7 ऑनलाइनआवेदनजमाकरनेसेपहले अभ्यर्थियों को प्रीव्यू / प्रिंट विकल्प में माध्यम से यहजांच कर लेनी चाहिए किउन्होंनेआवेदनपत्र केप्रत्येकस्थानमेंसहीविवरणभराहै।

9. <u>आवेदनशुल्क</u> :

9.1 देयशुल्क: 100 / - रुपये (मात्रएकसौ रुपए)।

9.2 महिलाअभ्यर्थियों औरअनुसूचितजाति (अ.जा.), अनुसूचितजनजाति (अ.ज.जा.) और आरक्षण के पात्र भूतपूर्वसैनिक (भू.पू.सै.)अभ्यर्थियों कोशुल्ककाभुगतानकरनेसेछूटदीगईहै।

9.3 **शुल्ककाभुगतान ऑनलाइन माध्यम से, नामत: भीम यूपीआई, नेटबैंकिंग के जरिए यावीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपेक्रेडिटयाडेबिट कार्ड काउपयोगकरके कियाजासकताहै ।**

9.4 **अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग को ऑनलाइन भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया है।** यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'Incomplete' दिखाई जाती है और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर मुद्रित होती है। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी की लॉगिन स्क्रीन पर दिए गए 'Payment Status' लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। **ऐसे आवेदन जो शुल्क प्राप्त न होने के कारण अधूरे रह जाएंगे, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और परीक्षा-विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

9.5 एक बार अदा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

10. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [16-08-2023 से 17-08-2023 (23:00 बजे)]:

10.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन परिमापों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

10.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

10.4 आयोग द्वारा लगाई गई सुधार / आशोधन राशि की प्राप्ति के अध्यधीन, नवीनतम आशोधित / संशोधितऑनलाइन आवेदनपत्र को अंतिम माना जाएगा औरउन अभ्यर्थियों द्वारा पहले जमा किए गए ऑनलाइन आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

10.5 यदि आवेदनपत्र सुधार राशि क.च.आ. को प्राप्त नहीं होती है, तो आवेदन पत्र की स्थिति **'Incomplete'**दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। ऐसे आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और पहले जमा किए गए आवेदन वैध रहेंगे ।

10.6 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग / श्रेणी कुछ भी हो ।

10.7 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से, नामतः भीम यूपीआई, नेटबैंकिंग के जरिए यावीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपेक्रेडिटयाडेबिट कार्ड काउपयोगकरके कियाजासकताहै ।

10.8 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

10.9 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त हाने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

11. परीक्षाकेंद्र :

11.1 अभ्यर्थी कोऑनलाइनआवेदनपत्र मेंकेंद्र (केंद्रों) कोइंगितकरनाहोगाजिसमेंवह परीक्षा देनाचाहता/चाहतीहै । परीक्षाकेंद्रोंऔरक्षेत्रीयकार्यालयों,जिनकेअंतर्गतये परीक्षाकेंद्रस्थितहैं, केविवरणइसप्रकारहैं:

क्र.स.	**परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड**	**कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य / संघराज्य क्षेत्र**	**क्षेत्रीय कार्यालयों के पते / वेबसाइट**
1	**2**	**3**	**4**
1	आगरा (3001), प्रयागराज (3003)बरेली (3005), गोरखपुर	**मध्य क्षेत्र (म.क्षे.) /**	**क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे.),** कर्मचारी चयन आयोग

	(3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), वाराणसी (3013), सीतापुर (3019), भागलपुर (3201), गया (3203 मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), पूर्णिया (3209)।	बिहार और उत्तर प्रदेश	34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केन्द्रीय सदन, प्रयागराज - 211001 (http://www.ssc-cr.org)
2	पोर्टब्लेयर (4802), रांची (4205), भुवनेश्वर (4604), कोलकाता (4410)।	**पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)/** अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उडीसा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय कार्यालय(पू.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ भवन, (आठवां तल) , 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड,कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 (www.sscer.org)
3	बेंगलुरु (9001), बेलगावी (9002), हुबली (9011), कलाबुरगी (गुलबर्गा) (9005), मंगलुरु (9008), मैसूरु (9009), शिवमोग्गा (9010), उडुपी (9012), तिरुवनंतपुरम (9211), कोल्लम (9210), कोट्टायम (9205), कोझीकोड (9206) त्रिशूर (9212), कावारत्ती (9401)	**कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.)** लक्ष्यद्वीप, कर्नाटक तथा केरल	**क्षेत्रीय निदेशक (क.के.क्षे),** कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलूरू, कर्नाटक- 560034 (www.ssckkr.kar.nic.in)
4	दिल्ली एनसीआर (2201), अजमेर (2401), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), उदयपुर (2409), सीकर (2411) , देहरादून (2002), हल्द्वानी (2003), रुड़की (2006)	**उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) /** दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक-12, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 (www.sscnr.net.in)

5	ईटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), कोहिमा (5302), शिलांग (5401), इम्फाल (5501), अगरतला (5601), आइजवाल(5701)	**उत्तर पूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्षे.)**/ अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, नागालैंड तथा त्रिपुरा	क्षेत्रीय निदेशक (उ.पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कम्प्लैक्स, लास्ट गेट, बेलाटोला, बशिष्ठ रोड, डाकघर- असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 (www.sscner.org.in)
6	गुंटूर (8001), कुरनूल (8003), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विशाखापत्तनम (8007), विजयवाड़ा (8008), काकीनाडा (8009), नेल्लोर (8010), चिराला (8011), विजियानगरम (8012), चेन्नई (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सलेम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनेल्वेलि (8207), वेल्लोर (8208), पुडुचेरी (8401),हैदराबाद(8601), वारांगल (8603), कारीमनगर (8604)।	**दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)**/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, द्वितीय तल, ईवीके संपत बिल्डिंग , डीपीआई परिसर, कॉलेज रोड, चेन्नै, तमिलनाडु-600006 (www.sscsr.gov.in)
7	अहमदाबाद (7001), वडोदरा (7002), राजकोट (7006), सूरत (7007), मुंबई (7204), पुणे (7208), अमरावती (7201) नागपुर (7205), औरंगाबाद (7202), कोल्हापुर (7203), पणजी (7801)	**पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.)** / दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि करवे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र - 400020 (www.sscwr.net)
8	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015),उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204) दुर्ग-भिलाई (6205)	**मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्र.क्षे)**/ छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश	**उप निदेशक (म.प्र.क्षे),** कर्मचारी चयन आयोग, 5 वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कॉम्प्लेक्स, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 (www.sscmpr.org)
9	जम्मू (1004), लेह (1005), श्रीनगर (1007), सांबा (1010),	**पश्चिमोत्तर क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.)** /	**क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमो. क्षे.),** कर्मचारी चयन आयोग,

	हमीरपुर (1202), शिमला (1203), बठिंडा (1401),जालंधर (1402), अमृतसर (1404), मोहाली (1406), चंडीगढ़ (1601)।	चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लदाख और पंजाब	ब्लॉक नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर, केन्द्रीय सदन, सेक्टर -9, चंडीगढ़ 160009 (www.sscnwr.org)

11.2 अभ्यर्थी को एक ही क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता के क्रम में तीन केन्द्रों का विकल्प देना होगा। किसी भी परिस्थिति में केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केंद्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।

11.3 आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग के पास किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार भी सुरक्षित है।

12. **परीक्षाकी रूप रेखा**:

12.1 परीक्षामेंपेपर- I, शारीरिक मानक परीक्षा (शा.मा.प.) / शारीरिक क्षमता परीक्षा (शा.क्ष.प.), पेपर- II औरविस्तृत चिकित्सा परीक्षा (वि.चि.प.)शामिलहोंगे। परीक्षाकेयेसभीचरणअनिवार्यहैं। इनपेपरों/ परीक्षणोंकाविवरणनिम्नानुसारहै:

पेपर - I:

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय अवधि
I	सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति	50	50	2 घंटे
II	सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी	50	50	
III	परिमाणात्मक अभिरुचि	50	50	
IV	अंग्रेजी परिज्ञान	50	50	

पेपर II:

विषय	प्रश्नोंकीसंख्या	अधिकतमअंक	समयअवधि
अंग्रेजी भाषा और परिज्ञान	200	200	2 घंटे

12.2 दोनोंपेपरमें प्रश्नबहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। पेपर- I केभाग- I, II और III में प्रश्न हिंदीऔरअंग्रेजीमेंदिए जाएंगे। **पेपर- I और पेपर- II में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन होगा**। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नोंकाउत्तरदेतेसमयइस बात का ध्यानरखें।

12.3 अभ्यर्थियोंद्वाराकम्प्यूटरआधारितपरीक्षामेंप्राप्त किए गए अंकों को आयोग द्वारा दिनांक 07-02-2019 की सूचना सं.1-1/2018-नी. एवं यो.-I में प्रकाशित सूत्रकाउपयोगकरकेसामान्यीकृतकियाजाएगाऔरइसतरहकेसामान्यीकृतअंकोंकाउपयोगअंतिमयोग्यताऔर कट-ऑफ अंकों को निर्धारितकरनेकेलिएकियाजाएगा।

12.4 परीक्षा के उपरांत अनंतिम कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी । अभ्यर्थी उत्तरकुंजियों को देखें और यदि उन्हें कोई आपत्ति हैतो केवल ऑनलाइन मोड में प्रति प्रश्न 100 रुपए भुगतान करके जोकि वापस नहीं किए जाएंगे, अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं। उत्तर कुंजी अपलोड करते समय आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर कुंजी के बारे में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन कीउत्तर कुंजियों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले संवीक्षा की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। बाद में उत्तर कुंजियों के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

12.5 राष्ट्रीयकैडेटकोर (एनसीसी) प्रमाणपत्र (**15.08.2023 के अनुसार**) धारकोंकोपेपर-1औरपेपर-II मेंबोनसअंकदिएजाएंगे, जिन्हें निम्नलिखितस्कीमकेअनुसारऐसेअभ्यर्थी केसामान्यीकृतअंकोंमेंजोड़ाजाएगा:

क्रम सं	एनसीसी प्रमाणपत्र का प्रकार	प्रत्येक पेपर में बोनस अंक (पेपर-I औरपेपर-II)
1	एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र	10 अंक (अधिकतम अंको का 5%)
2	एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र	6 अंक (अधिकतम अंकों का 3%)
3	एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र	4 अंक (अधिकतम अंक का 2%)

12.6 नोटिसमेंदी गई परीक्षाओंकीतारीखें अनंतिम हैं। परीक्षाओंकीअनुसूचीमेंकोईभीबदलावकेवलआयोगकीवेबसाइटकेमाध्यमसेअभ्यर्थियों कोसूचितकियाजाएगा।

12.7 अंकोंकेपुनर्मूल्यांकन / पुनः जाँचकाकोईप्रावधाननहींहोगा। इससंबंधमेंकिसी भी पत्राचारपर विचार नहीं किया कियाजाएगा।

12.8 अंग्रेजी और हिंदी भाषा में दिए गए प्रश्नों में अंतर होने की स्थिति में, अंग्रेजी भाषा में दी गई विषय वस्तु ही मान्य होगी ।

12.9 **<u>कंप्यूटरआधारितमोडपरीक्षाकेलिएसांकेतिकपाठ्यक्रम</u> :**

12.9.1 **<u>पेपर - I</u>**

12.9.1.1 **<u>सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति</u>:** इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनो प्रकार के प्रश्न शामिल होंगें । इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थनिक कल्पना, स्थनिक आभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, विवेक आधारित अनुमान, निर्णय लेना,

दृश्यस्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रंखला, गैर शाब्दिक श्रंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, विवरण निष्कर्ष, न्यायबद्ध आदि से संबंधित प्रश्न शमिल होंगे। इसमें विषय हैं : सेमेंटिक सादृश्यता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आकृति संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गिकरण, सीमेंटिक समानता, अंक समानता, आंकड़े संबंधी समानता, समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संचालन, प्रतीकात्मक संचालन, उपनति, अन्तराल आभिविन्यास, अन्तराल विज्यूलाइजेशन, वेन डाइग्राम, रेखचित्र अनुमिति, पंच्ड होल/पैटर्न फोल्डिंग एवं अनफोल्डिंग, अंकीय पैटर्न फोल्डिंग एवं पूर्ण करना, सूचीकरण, पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केंद्र कोड/अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/अंक कोडिंग, डिकोडिंग और वर्गीकरण, अंतस्थापित आंकड़े, आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामजिक बुद्धिमत्ता आदि।

12.9.1.2 **सामान्यज्ञानऔरसामान्यजागरूकता :**इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा । सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती हैं। इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यदि से संबंधित प्रश्न भी शमिल होंगे।

12.9.1.3 **परिमाणात्मक अभिरूचि:**इसमें प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा । इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन,दशमलव, खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भाग फल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज,लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीय समीकरणों के ग्राफ,त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरुपता और समानता, वृत और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या आधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चर्तुभुज, समभुज कोणीय बहुभुज, वृत, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज समकोणीय पिरामिड, त्रिकोणमितीयअनुपात, डिग्रीऔररेडियनमाप, मानकपहचान, पूरककोण, ऊँचाईऔरदूरियाँ, हिस्टोग्राम, बारंबारता बहुभुज, बारआरेखऔरपाई चार्ट आदि से संबंधित प्रश्न होंगे।

12.9.1.4 **<u>अंग्रेजी परिज्ञान</u>:** इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की समझ, उसके सही प्रयोग, उसके लेखन की योग्यता और परिज्ञान को जांचा जाएगा। ।

12.9.2 **पेपर-II**

12.9.2.1 **<u>अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान</u>:**इस घटक में अभ्यर्थी के अंग्रेजी भाषा की समझ और जानकारी की जांच के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे जो कि गलती की पहचान, रिक्त स्थानों की पूर्ति (क्रिया, पूर्वसर्ग,आर्टिकल्स आदि का प्रयोग करके), शब्द कोश, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, विलोम, वाक्य पूर्णता, वाक्यांश और शब्दों का उक्ति रूप में और मुहावरेदार प्रयोग, बोधगम्यता आदि से संबंधित होंगे।

12.10 **<u>शारीरिकमानकपरीक्षण (शा.मा.प.) औरशारीरिकक्षमता परीक्षण (शा.क्ष.प.) :</u>**

12.10.1 **<u>शारीरिकमानकपरीक्षण (सभी पदोंकेलिए):</u>**

क्रम सं.	अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊंचाई (सेमीमें)	सीना (सेमीमें)	
			बिना फुलाए	फुलाकर
(i)	क्रम सं. (ii) और (iii) मेंसूचीबद्धअभ्यर्थियों कोछोड़करपुरुषअभ्यर्थी	170	80	85
(ii)	गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचलप्रदेश के पहाडी क्षेत्रों, गोरखाओं, डोगरा, मराठों, कश्मीरघाटी, जम्मूऔरकश्मीर के लेह एवं लद्दाखक्षेत्रों , पूर्वोत्तरराज्योंऔरसिक्किमसेसंबंधितअभ्यर्थी।	165	80	85
(iii)	अनुसूचितजनजातिके सभी अभ्यर्थी	162.5	77	82
(iv)	क्रम सं. (v) और (vi) मेंसूचीबद्धअभ्यर्थियों कोछोड़करमहिलाअभ्यर्थी	157	--	--
(v)	गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचलप्रदेश के पहाडी क्षेत्रों, गोरखाओं, डोगरा, मराठों, कश्मीरघाटी, जम्मूऔरकश्मीर के लेह एवं लद्दाखक्षेत्रों , पूर्वोत्तरराज्योंऔरसिक्किमसेसंबंधितमहिला अभ्यर्थी।	155	--	--

(vi)	अनुसूचितजनजातिसेसंबंधितसभीमहिलाअभ्यर्थी	154	--	--

12.10.2 **<u>वजन</u> :** ऊंचाईकेअनुरूप (सभीपदोंकेलिए)।

12.10.3 **<u>शारीरिकक्षमता परीक्षा (शा.क्ष.प.) (सभीपदोंकेलिए)</u> :**

12.10.3.1 <u>पुरुषअभ्यर्थियों केलिए:</u>

12.10.3.1.1 16 सेकंड में 100 मीटरकीदौड़

12.10.3.1.2 6.5 मिनट में1.6 किलोमीटरकी दौड़

12.10.3.1.3 लंबी कूद :3 अवसरों में 3.65 मीटर

12.10.3.1.4 ऊंची कूद :3 अवसरों में 1.2 मीटर

12.10.3.1.5 शॉटपुट (16 पांउड): 3 बार में 4.5 मीटर

12.10.3.2 <u>महिलाअभ्यर्थियों केलिए</u> :

12.10.3.2.1 18 सेकंड में 100 मीटरकीदौड़

12.10.3.2.2 4 मिनट में 800 मीटरकीदौड़

12.10.3.2.3 लंबीकूद: 3 अवसरों में 2.7 मीटर

12.10.3.2.4 ऊंची कूद :3 अवसरों में 0.9 मीटर

12.10.4 महिला अभ्यर्थियों के लिएसीनेकीमापकीकोईन्यूनतमआवश्यकतानहींहोगी ।

12.10.5 यथा-उल्लिखित ऊंचाईऔरसीने की माप मेंछूट (जैसाभीमामलाहो), केवल उस जिले के सक्षम प्राधिकारी, जंहा वे रहते हैं, का प्रमाणपत्र **<u>अनुबंध- VIII</u>** मेंनिर्धारितप्रपत्र के अनुसार प्रस्तुत करने पर ही अनुमत होगा ।

12.10.6 दिल्लीपुलिसके लिए प्रारंभिकनियुक्तिकेसमयशारीरिक मानकों (ऊंचाई /सीना) मेंएकबारदीगएछूटतबतकवैध रहेगीजबतककिसंबंधित व्यक्ति विशेष दिल्ली पुलिस मेंरहता है।

12.10.7 जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों अर्थात ऊंचाई और सीने की माप में योग्य घोषितनहीं कियागयाहै, यदि चाहें तो वेयदिशा.मा.प./शा.क्ष.प. स्थल परउपस्थितअपीलीयप्राधिकारीकोअपील कर सकते हैं । अपीलीयप्राधिकारीकानिर्णयअंतिमहोगाऔरइससंबंधमेंकोईऔरअपीलयाअभ्यावेदन स्वीकार नहींकियाजाएगा।

12.10.8 शा.मा.प./शा.क्ष.प. काकोईअंकनहींलेगा, परन्तु यह लेकिनयोग्यता/छंटनी प्रकृतिकाहोगा।

12.10.9 इन पदोंकेलिएआवेदनकरनेवालेभूतपूर्वसैनिकोंकोशा.क्ष.प. सेगुजरनेकीआवश्यकतानहींहै। तथापि सभीभूतपूर्वसैनिकोंकोलिखितपरीक्षाउत्तीर्णकरनी होगीऔरइन निर्धारितशारीरिक मानकोंकोपूराकरना होगा। उन्हेंसीधीभर्तीकेलिएनिर्धारितचिकित्सामानकोंकोभीपासकरनाचाहिए।

12.10.10 पीएसटी (शारीरिक मानक परीक्षा) / पीईटी (शारीरिक क्षमता परीक्षा) के लिए महिला अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग पर, उनकी गर्भावस्था की स्थिति के बारे में सूचना देने वाली एक स्व-घोषणाप्रस्तुत की जाएगी। यदि वह घोषणा करती है कि वह गर्भवती नहीं है तो उसे पीएसटी/पीईटी में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। फर्जी घोषणा के मामले में, पीएसटी/पीईटी से गुजरने के सभी जोखिम उसके स्वयं के होंगे। यदि महिला अभ्यर्थी घोषणा करती है कि वह पीएसटी/पीईटी से पहले गर्भवती है, तो एक पुष्टिकरण गर्भावस्था परीक्षण किया जाना है और यदि वह गर्भवती पाई जाती है, तो गर्भावस्था की अवधि के बावजूद, उसे अस्थायी रूप से अनफ़िट घोषित किया जा सकता है और उसकी नियुक्ति पर तब तक रोक रखी जाएगी जब तक कि गर्भधारण समाप्त न हो जाए। जिस रिक्ति के लिए महिला अभ्यर्थी का चयन किया गया था, उसे उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। एक पंजीकृत चिकित्सक से फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अधीन, प्रसव की तारीख के छह सप्ताह बाद पीएसटी/पीईटी के लिए उसकी फिर से जांच की जाएगी।यदि वह पीएसटी/पीईटी और डीएमई में फिट पाई जाती है, तो उसे उसके लिए आरक्षित पद पर नियुक्त किया जा सकता है और समय-समय पर संशोधित सरकार के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता के लाभ की अनुमति दी जा सकती है। यदि किसी महिला अभ्यर्थी की गर्भावस्था नकारात्मक पाई जाती है, तो उसे पीएसटी/पीईटी में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

12.11 <u>**चिकित्सामानक (सभीपदोंकेलिए):**</u>

12.11.1 <u>**चिकित्सापरीक्षा:**</u> वेसभीअभ्यर्थी जोपेपर- II मेंअर्हता प्राप्त करतेहैं, उनकीचिकित्सा जांचके.स.पु.ब. केचिकित्सा अधिकारी या केंद्र / राज्यसरकार के अस्पताल या औषधालय केकिसी अन्य ग्रेड-I चिकित्सा अधिकारी यासहायक सर्जनद्वाराकीजाएगी। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरानअनफ़िट पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) डीएमई की निरंतरता में अधिमानतः डीएमई के अगले दिन आयोजित की जाएगी। पुनर्चिकित्सा बोर्ड / समीक्षाचिकित्सा बोर्डकानिर्णयअंतिमहोगाऔरपुनर्चिकित्सा बोर्ड / समीक्षाचिकित्सा बोर्डकेनिर्णयकेखिलाफकोईअपील/अभ्यावेदन स्वीकार नहींकियाजाएगा।

12.11.2 <u>**नेत्रदृष्टि**</u> : निकटदृष्टिन्यूनतमएन 6 (बेहतरदृष्टि) और एन 9 (खराब दृष्टि) होनीचाहिए। किसीभीसुधार, जैसे -दृश्यतीक्ष्णतामेंसुधारकेलिएचश्मे का प्रयोगयाकिसीभीतरहकीसर्जरी, केबिनादोनोंआँखों कीन्यूनतमदूरदृष्टि 6/6 (बेहतरदृष्टि) और 6/9 (खराब दृष्टि) होनीचाहिए । दाएंहाथसे काम करने वाले व्यक्तिमेंदाईंआंखकी

बेहतरदृष्टि होती है औरबांए हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के लिए बांई आंख बेहतर दृष्टि है।

12.11.3 अभ्यर्थीके भीतर की ओर मुड़े घुटने, सपाट पैर, वैरिकोज़नसयाभेंगापन नहींहोनाचाहिएऔरउनकी रंग विभेद दृष्टिउच्च कोटि की होनीचाहिए।

12.11.4 उनका मानसिकऔरशारीरिकस्वास्थ्यअच्छा होना चाहिएऔर उनमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उनके कर्तव्य के प्रभावी निष्पादन में बाधा होने की संभावना हो।

12.12 अंतमें, उप-निरीक्षककेपदोंकेलिएचुनेगएअभ्यर्थियों कोप्रशिक्षणपाठ्यक्रमकेभागकेरूपमें, नीचेवर्णितसातबाधाओं को पासकरनाहोगा, जिसमें विफल रहने पर उन्हें बल में नहीं रखा जा सकता है :

12.12.1 उर्ध्वाधर बोर्डके ऊपरसेकूदना ।

12.12.2 बोर्ड सेकूदते हुए रस्सीपकड़ना ।

12.12.3 टार्ज़न स्विंग ।

12.12.4 क्षैतिज बोर्ड परकूदना ।

12.12.5 समानांतररस्सी ।

12.12.6 बंदर की तरह सरकना (मंकी क्रॉल)

12.12.7 उर्ध्वाधर रस्सी ।

12.13 **<u>टैटू:</u>** टैटू की अनुमति केवल निम्नलिखित शर्तों के अनुसार दी जाएगी:

12.13.1 **<u>सामग्री:</u>** धार्मिकप्रतीक या चित्र और नाम का चित्रण करने वाले टैटू, जैसाकिभारतीयसेनामेंअनुपालनकियाजाताहै, अनुमत्य है ।

12.13.2 **<u>स्थान:</u>** शरीरकेपारंपरिकअंगों पर बने टैटू अनुमत्य हैं, जैसे- बाजू के अग्र भाग पर भीतरी ओर, परन्तु केवल बांयी बाजू पर, क्योंकि इससे सैल्यूट नहीं दिया जाता और यह हाथ का पृष्ठ भाग है।

12.13.3 **<u>आकार:</u>** शरीरकेउस विशेषभाग (कोहनीयाहाथ) के ¼ भाग से कमहोनाचाहिए।

13. <u>परीक्षा में प्रवेश</u>

13.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधरित परीक्षा (पेपर-I) में बैठने हेतु रोल नंबर और प्रवेश-पत्र (एसी) दिया जाएगा,जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस

विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

13.2 आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु, आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती हैकि वे उक्त पद (पदों) के लिए पात्र हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति/ श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र/ दस्तावेजों की प्रतियां मांगकर्ता/ प्रयोक्ता विभागों/ संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि प्राधिकारी (यों) द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपने प्रमाण पत्र/शै.यो./जाति/श्रेणी आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे। शै.यो./जाति/ श्रेणी आदि के प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

13.3 परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर ऑनलाईन जारी किया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा चुना गया परीक्षा केंद्र स्थित है (विस्तृत ब्योरा **पैरा 11.1** पर) और कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट(https://ssc.nic.in)का अवलोकन करते रहें।

13.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीयकार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। **यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तकआयोग की वेबसाइट पर अपने ब्योरे की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीयकार्यालयसे संपर्क करना चाहिए।** ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

13.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपनी पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

13.6 प्रवेश-पत्र डाऊनलोड करने की सुविधा परीक्षा से लगभग 3-7 दिन पहले संबंधित क्षेत्रीयकार्यालयों की वेबसाइट परउपलब्ध होगी। **अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में अवश्य लाना होगा।**

13.7 प्रवेश-पत्र के अलावा, अभ्यर्थी को हाल के दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, **प्रवेश-पत्र पर छपी जन्म-तिथि के प्रमाण के लिए फोटो लगा कम से कम एक पहचान पत्र** मूलरूप में अपने साथ लाना होगा, जैसे-

13.7.1 आधार कार्ड/ ई-आधार का प्रिंट आउट

13.7.2 मतदाता पहचान-पत्र

13.7.3 ड्राइविंग लाइसेंस

13.7.4 पैन कार्ड

13.7.5 पासपोर्ट

13.7.6 विद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र

13.7.7 नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी/उपक्रम)

13.7.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा पंजिका

13.7.9 केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र

13.8 यदि फोटो पहचान-पत्र में जन्मतिथि अंकित नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र से संबन्धित एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र (अर्थात सीबीएससी / आईईसीएसई / राज्य बोर्ड द्वारा जारी मेट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, अंक पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, श्रेणी संबंधी प्रमाणपत्र) मूल रूप में लाना होगा । प्रवेशपत्र में अंकित जन्म तिथि और जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर लाये गए फोटो प्रमाणपत्र / प्रमाणपत्र में मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा ।

13.9 परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेशपत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज़ भी अभ्यर्थी को अपने साथ लाना होगा ।

13.10 **धुंधला फोटोग्राफ और या हस्ताक्षर युक्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।**

14. पद वरीयता:

14.1 दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ (एमएचए) में उप-निरीक्षक के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले, अभ्यर्थियों से या तो आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प फॉर्म के माध्यम से या पीईटी/पीएसटी/डीएमई/आरएमई/डीवी के समय संबंधित संगठन द्वारा भौतिक रूप से पद (पदों) और संगठन (संगठनों) के लिए वरीयता ली जाएगी। किसी पद / संगठन के लिए किसी अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि उसने इसके लिए अपनी वरीयता की सूचना नहीं दी है। एक बार प्रस्तुत किए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में इसे नहीं बदला जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को ऐसे विकल्पों के चुनने में सावधान रहना चाहिए।

14.2 निर्धारित समय के भीतर अपनी पद वरीयता (वरीयताओं) को प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम में किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पद और संगठन के लिए वरीयता देने का कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और वे इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा

15. <u>दस्तावेज सत्यापन</u> : भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के सरकार के निर्णय को देखते हुए, प्रयोक्ता विभाग/संगठन द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) आयोजित किया जाएगा।

15.1 कर्मचारी चयन आयोग प्रयोक्ता विभागों/संगठनों द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसारकार्मिकों की भर्ती करता है। आयोग की प्रयोक्ता विभाग/संगठन में उत्पन्न होने वाली कुल रिक्तियों(ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज) के निर्धारण, बैकलॉग रिक्तियों, विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत रिक्तियों के पृथक्करण और सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं है। परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद, चयनित अभ्यर्थियों के डोजियर उपयोगकर्ता विभागों/संगठनों को अग्रेषित किए जाते हैं। प्रयोक्ता विभाग/संगठन अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद अग्रेषित डोजियर को स्वीकार करेंगे। कोई भी प्रयोक्ता विभाग/संगठन क्षैतिज रिक्तियों की अनुपलब्धता के आधार पर या इस आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के डोजियर को वापस नहीं करेगा कि एक क्षैतिज रिक्ति मौजूद है लेकिन उस श्रेणी के डोजियर को आयोग द्वारा प्रदान नहीं किया गया है।

15.2 कर्मचारी चयन आयोग अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले प्रयोक्ता विभागों/संगठनों से रिक्तियों की पुष्टि करता है। अंतिम परिणाम घोषित किया जाता है और नामांकन/ सिफारिशें केवल ऐसी पुष्ट रिक्तियों के लिए की जाती हैं।इसलिए, प्रयोक्ता विभाग/संगठन किए गए नामांकन और उन्हें भेजे गए डोजियर को स्वीकार करेंगे। यदि कोई विभाग/संगठन समाप्त हो जाता है, पुनर्गठित हो जाता है, या किसी अन्य विभाग/मंत्रालय/संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानांतरित हो जाता है, तो उसका उत्तराधिकारी/प्रशासनिक विभाग/मंत्रालय डोजियर स्वीकार करेगा।यदि मंत्रालय स्तर तक संगठनों का संपूर्ण पदानुक्रम समाप्त हो जाता है, तो जिस मंत्रालय/विभाग को इसका कार्य हस्तांतरित किया गया है, वह डोजियर्स को स्वीकार करेगा। यदि संगठन/विभाग का कार्य किसी अन्य विभाग/मंत्रालय को हस्तांतरित नहीं किया गया है, तो विभाग/मंत्रालय जिसका कार्य पूर्व के कार्य से निकटता से संबंधित है, डोजियर को स्वीकार करेगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

15.3 अंतिम परिणाम आयोग द्वारा केवल एक बार घोषित किया जाएगा और अभ्यर्थियों के प्रस्तावित पदों में कार्यभार नहीं ग्रहण करने की स्थिति में अभ्यर्थियों का कोई और नामांकन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार,

अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद, उपयुक्तअभ्यर्थियों की अनुपलब्धता, अभ्यर्थियों के कार्यभार नहीं ग्रहण करने या किसी अन्य कारण से खाली रह गई रिक्तियां, यदि कोई हों, उस भर्ती वर्ष में नहीं भरी जाएंगी और मांगकर्ता मंत्रालय/विभाग/संगठन उन रिक्तियों को अगले भर्ती चक्र में ले जा सकता है और मौजूदा नियमों के अनुसार आयोग को रिपोर्ट कर सकता है।

15.4 आयोग की नीति के अनुसार, एसएससी आयोग द्वारा आयोजित बहु-कारक परीक्षाओं के लिए प्रतीक्षा सूची/आरक्षित पैनल नहीं रखता है। ऐसे मामलों में, विभाग मौजूदा नियमों के अनुसार रिक्तियों को आगे बढ़ाने के संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।

15.5 अभ्यर्थियों को संबंधित प्राधिकारी (यों) द्वारा मांगे जाने पर **पैरा 15.9** में दर्शाए गए फोटोकॉपी और मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना आवश्यक है।

15.6 दस्तावेज़ सत्यापनके दौरान अभ्यर्थियों को वरीयता के क्रम में उन पद (पदों)/बल (बलों) का उल्लेख करना चाहिए जिनका उन्होंने विकल्प दिया है। विभिन्न पदों/ बलों का उनके कोड सहित ब्योरा निम्नानुसार है:

15.6.1 दिल्लीपुलिसमेंउप-निरीक्षक (ए)

15.6.2 सीमासुरक्षाबलमेंउप-निरीक्षक (बी)

15.6.3 केंद्रीयऔद्योगिकसुरक्षाबलमेंउप-निरीक्षक (सी)

15.6.4 केंद्रीयरिजर्वपुलिसबलमेंउप-निरीक्षक (डी)

15.6.5 भारत-तिब्बतसीमापुलिसबलमेंउप-निरीक्षक (ई)

15.6.6 सशस्त्र सीमा बल में उप-निरीक्षक (एफ)

15.7 अभ्यर्थियों द्वाराएकबारचुने गए विकल्प / वरीयताको**अंतिमऔर अपरिवर्तनीय** मानाजाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा पद/बल में परिवर्तन करने केअनुरोधकोकिसीभीपरिस्थितिमेंस्वीकार नहींकियाजाएगा। यदिअभ्यर्थी नेपद/बल केलिएविकल्पनहींचुनाहै, तोउसके नाम पर उसकीयोग्यता स्थितिकेबावजूदइसतरहकेपदकेचयनकेलिएविचार नहींकिया जाएगा। इसलिएअभ्यर्थियों कोअपनीपद वरीयताएंदेतेसमयबहुतउचित तत्परता और सावधानीबरतनीचाहिए।

15.8 अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय दो पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटोऔरप्राधिकारी (यों) द्वारा मांगे जाने पर निम्नलिखित में से कोई एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र लाना होगा:

15.8.1 आधार कार्ड/ ई आधार का प्रिंटआउट ।

15.8.2 वोटर आईडी कार्ड

15.8.3 पैन कार्ड

15.8.4 पासपोर्ट

15.8.5 ड्राइविंग लाइसेंस

15.8.6 विद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र

15.8.7 नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम)

15.8.8 केंद्र/राज्य सरकार द्वरा जारी किया गया कोई अन्य फोटोयुक्त पहचानपत्र

15.9 अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होंगी जैसे:

15.9.1 मैट्रिक / मध्यमिक प्रमाणपत्र

15.9.2 शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र

15.9.3 यदिअभ्यर्थीकिसीविशेषयोग्यताको समकक्षयोग्यताहोने कादावाकरता है, तो अनिवार्य अर्हता में समकक्ष खंड के संबंध में प्राधिकारी का उल्लेख करते हुए दावा की गई समकक्ष शैक्षणिकयोग्यताके संबध मेंआदेश/पत्र (संख्याऔरतारीखकेसाथ) जिसकेतहत इसे ऐसा माना गया है।

15.9.4 जाति / श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आता है

15.9.5 उनअभ्यर्थियों केलिएजिन्होंनेदिल्लीपुलिसकेलिएवरीयतादीहै, **मोटरसाइकिलऔरकारका** ड्राइविंगलाइसेंस (शा.क्ष.प./शा.मा.प. कीतारीखसेपहलेजारी) (केवलपुरुषअभ्यर्थियों केलिएलागू)।

15.9.6 **भूतपूर्व सैनिकों के लिए (भू.पू.सै.):**

15.9.6.1 **अनुलग्नक -IV के** अनुसार वचनबंध।

15.9.6.2 यदि लागू हो, तो **अनुलग्नक-III के** अनुसार रक्षा कार्मिकसेवारत होने का प्रमाण पत्र ।

15.9.6.3 सेवा निवृत्ति का प्रमाणपत्र, अगर सशस्त्र बलों से छुट्टी दी जाती है ।

15.9.6.4 **पैरा 3.3.1** पर सूचीबद्ध भूतपूर्व सैनिकों की विशिष्ट श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी इसकी पुष्टि में प्रमाणपत्र/दस्तावेजी साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करें।

15.9.7 प्रासंगिक प्रमाण पत्र यदि आयु में किसी छूट की मांग करता है।

15.9.8 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा**अनुलग्नक-IX के**अनुसारप्रमाण पत्र ।

15.9.9 यदि पहले से ही सरकारी सेवा में नियोजित हैं, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र।

15.9.10 यदि कोई अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन करने का दावा करता है तो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:

15.9.10.1 महिला की शादी के मामले में:- पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमे पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रति या शपथ-आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा ।

15.9.10.2 महिला की दूसरी शादी के मामले में:-तलाकनामा/ या पहले पति की अगर मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु प्रमाण-पत्र और वर्तमान पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमे पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रति या शपथ-आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा ।

15.9.10.3 महिला के तलाक के मामले में :- तलाकनामे की प्रमाणित-प्रति और एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा।

15.9.10.4 दूसरी परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के नाम परिवर्तन के लिए:- एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा और दो प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित अखबार की मूल कटिंग (एक दैनिक अखबार अभ्यर्थी के स्थायी और वर्तमान पते या आस-पास के क्षेत्र की होनी चाहिए।) या गज़ट अधिसूचना।

15.9.11 दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रवेशपत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज।

15.9.12 यह पुनः कहा जाता है कि शै.यो./जाति/श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किए गए किसी दावे की पुष्टि दस्तावेज़ सत्यापन के समयया किसी भी स्तर पर प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों द्वारा नहीं की जाती है, अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

16 चयन का तरीका:

16.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (प्रश्नपत्र-I) में बैठने हेतु रोल नंबर या जाएगा और प्रवेश-पत्र दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं।

16.2 पेपर-I और पेपर-II में न्यूनतम अर्हक अंक (एनसीसी प्रमाण-पत्रधारक को बोनस अंक जोड़े बिना) निम्नानुसार हैं:-

16.2.1	अना.	:	30%
16.2.2	अपिव/आकव	:	25%
16.2.3	अन्य सभी वर्ग	:	20%

16.3 अभ्यर्थी पेपर-I (एनसीसी प्रमाण-पत्रके मामले में बोनस अंकों को जोड़कर)में अपने प्रदर्शन के आधार शा.क्ष.प./शा.मा.प. परीक्षा में भाग लेने के लिए शार्टलिस्टकिए

जाएंगे। आयोग को अन्य केसाथ-साथश्रेणीवाररिक्तियों औरअभ्यर्थियोंकी श्रेणीवार संख्या का ध्यान रखते हुए प्रश्नपत्र-I के प्रत्येक भागमें विभिन्न न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने का अधिकार होगा।

16.4 शा.क्ष.प./शा.मा.प. अनिवार्य लेकिन अर्हक प्रकार के हैं। भूतपूर्व सैनिकों को शा.क्ष.प. देने की जरूरत नहीं हैं।

16.5 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र-II परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने शा.क्ष.प./शा.मा.प.परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है ।

16.6 अभ्यर्थियोंको पेपर-I और पेपर-II (एनसीसी प्रमाण-पत्रके मामलों में बोनस अंकों को जोड़कर) में उनके प्रदर्शन के आधार पर चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने हेतु शार्टलिस्ट किया जाएगा।

16.7 अभ्यर्थियों द्वारा पेपर-I और पेपर-II (एनसीसी प्रमाण-पत्रके मामलें में बोनस अंकों को जोड़कर)में उनके प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन और पद/बलकाआबंटन किया जाएगा तथा दस्तावेज सत्यापन के समय उनके द्वारा दी गई पदों/ बलों की वरीयता के आधार पर किया जाएगा ।

16.8 अभ्यर्थी को उनके मेरिट के अनुसार एक बार उसकी प्रथम उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद उसके नाम पर अन्य विकल्पों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को पदों/बल की वरीयता का चयन सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है।

16.9 विभागीय अभ्यर्थियों के लिए, दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, और सहायक उप-निरीक्षक में से, दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक की सीधी भर्ती दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती), नियम 1980 (वर्ष, 2013 और 2018 में संशोधित) के नियम-7 और 27-ए तथा स्थायी आदेश संख्या 321/2013 के अनुसार की जाएगी। **केवल उन अभ्यर्थियों को "दिल्ली पुलिस का विभागीय अभ्यर्थी" माना जाएगा जो अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में इस स्थिति को दर्शाएंगे।**ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने और 'आवेदन पत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, आवेदन पत्र में जो दर्शाया गया है, उसकी स्थिति में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

16.10 दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक (कार्यकारी)-पुरुष के पद के लिए अभ्यर्थियों के चयन के समय, दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों को पहले दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती)

नियम, 2018 के नियम 27 ए के अनुसार आयु में छूट देकर खुली रिक्तियों के लिए और उसके बाद दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 2013 के नियम -7 के अनुसार विभागीय रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा।

16.11 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों के साथ दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक परीक्षा, 2023 की सामान्य कंप्यूटर आधारित परीक्षा (पेपर-I एवं पेपर-II), शा.क्ष.प./शा.मा.प., चिकित्सा परीक्षा में शामिल होंगे। तथापि विभागीय रिक्तियों के अंतिम परिणाम की प्रक्रिया,आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा के बादकंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर,दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी।

16.12 अजा, अजजा, अपिव, ईडब्लूएस और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी जो मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र मेरिट स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट की गई रिक्तियों के अनुसार पद की अनारक्षितरिक्तियों में, जो उनके लिए लाभप्रद हो, में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा,अजजा, अपिव, ईडब्लूएस और भूतपूर्वसैनिक. श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी ।

16.13 अजा, अजजा, अपिव, ईडब्लूएस और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, चाहे योग्यता सूची में उनका स्थान कुछ भी हो, उन्हें आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा न कि सामान्य रिक्तियों में ।ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनकी आरक्षित रिक्तियों की संख्या कीसीमा तक मानकों में छूटदेकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है। जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है,आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं माना जाएगा ।

16.14 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

16.15 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्ते पूरी करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, निर्धारित पात्रता शर्ते पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समययह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

16.16 इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण अथवा ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इसके लिए निर्धारित की गई हों। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर यदि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, तो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इन पदों पर स्थायी किए जाने हेतु पुष्टि की जाएगी।

16.17 यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर टियर/स्तर में कट ऑफ अंकों से अधिक अंक स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है,तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताहपहले,जो भी पहले हो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए ।

16.18 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोईपत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए ।

16.19 सभी पद (दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक को छोडकर) अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।

16.20 पदों का अंतिम आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए पदों/विभागों की योग्यता-सह-वरीयताओं के आधार पर किया जाता है और एक बार पद आवंटित होने के बाद, शारीरिक/ चिकित्सा/शैक्षिक मानकों की किसी भी पद विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा न करने के कारण आयोग द्वारा पदों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, उदाहरण के लिए, यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी पद के लिए उच्च वरीयता दी है और उसे उस पद के लिए चुना गया है; उस स्थिति में, यदि वह उस पद के लिए चिकित्सा/शारीरिक/शैक्षणिक मानकों को पूरा करने में विफल

रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और किसी अन्य वरीयता के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में आयोग द्वारा किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

16.21 यह पुनः कहा जाता है कि आयोग द्वारा परिणाम केवल एक बार घोषित किया जाएगा और उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता, उपयोगकर्ता संगठन द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों की अस्वीकृति, अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने या किसी अन्य कारण से रिक्तियां खाली रहने की स्थिति में अभ्यर्थियों का कोई और नामांकन नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में, मंत्रालय/विभाग/संगठन मौजूदा नियमों के अनुसार रिक्तियों को अगले रिक्ति वर्ष तक आगे बढ़ाने के संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकता है।

16.22 अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद कोई प्रतीक्षा सूची/आरक्षित सूची नहीं होगी।

17. **<u>बराबरी के मामलों का निपटारा</u>**:

17.1 उन मामलों में जहाँ एक से अधिक अभ्यर्थी प्रश्नपत्र –I + प्रश्नपत्र-II में एक समान कुल अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगाः-

17.1.1 प्रश्नपत्र -II में कुल अंकों को देखकर ।
17.1.2 जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है।
17.1.3 अभ्यर्थियों के नामों के वर्णानुक्रम को देखकर ।

18. रोजगार केअवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा.39020/1/2016-स्था(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोगकी अपनी वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा: (i) अभ्यर्थी का नाम, (ii) पिता/पति का नाम, (iii) जन्म तिथि, (iv) श्रेणी (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भू.पू.सै), (v) अभ्यर्थी का लिंग, (vi) शैक्षिक योग्यता, (vii) अर्हक परीक्षा में कुल प्राप्तांक, (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है, (ix) पूरा पता, (x) ई-मेल, तथापि अभ्यर्थियों के पास

अपना आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करनेका विकल्प होगा। तदनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्होंने आयोग की वेबसाइट पर उपरोक्त ब्योरा प्रकट करने का विकल्प दिया है।

19. **<u>आयोग का निर्णय अंतिम:</u>**पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा (ओं) का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, चयन और पद/संगठन के आबंटन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. **<u>कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:</u>**

20.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी स्तर पर निम्नलिखित में किसी भी कदाचार के दोषी पाए जाते है तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगाः

क्रम सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री जैसे- रफ शीट,प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटे लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अन्य व यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचना के परीक्षा स्थल से बाहर जाना ।	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना,जाली दस्तावेज प्रस्तुत, करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचनाओं/ उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्रों/ हथियारों को रखना।	5 वर्ष

13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेयास्त्रों/ हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना/ धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री,लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा-प्रणाली को हैक करने या जोड-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

20.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

21. **न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

22. **अयोग्यता:** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

23. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

(क)	**अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें ।परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।**

(ख)	**अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।**
(ग)	कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाती है। अभ यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिकव चिकित सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (दों) के लिए पत्र हैं । उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाणपत्र/दस्तावेजों की प्रतियां मांगकर्ता / प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि आयोग द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपने प्रमाणपत्र/ शै.यो. /जाति/श्रेणी आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे। शै.यो ./जाति/श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(घ)	अजा/ अजजा/ अपिव/ आकव वर्ग के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(ङ)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति **'आवेदन प्राप्त हुआ (सामग्री सत्यापित नहीं है)'**के रूप में सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेना चाहिए। सामान्यतः आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आऊट भेजने की जरूरत नहीं है।
(च)	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(छ)	लघु/धुंधले फोटोग्राफ और/या प्रारूप के अनुरूप न होने वाले फोटो वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। उसी तरह,अपाठ्य /धुंधलें फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
(ज)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
(झ)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में हाल ही के दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और फोटो लगा एक

	पहचान साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूपूसै की सेवा निवृत्ति पंजिका या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पहचानपत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र (**पैरा 13.8** पर सूचित) लाना होगा ।प्रवेश प्रमाणपत्र और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो आईडी/प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्मतिथि में मेल न होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(ञ)	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरूपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ यर्थी /साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी ।
(ट)	सभी पद (दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक को छोड़कर) अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(ठ)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / उप क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए ।
(ड)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए ।
(ढ)	देय शुल्कः 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा),अनुसूचित जनजाति (अजजा)तथा भू.पू.सै. से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है ।
(ण)	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य अवधि के दौरान परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है, जिसमें 'आवेदन फॉर्म सुधार के लिए विंडो' की अवधि शामिल नहीं है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि विभिन्न पंजीकरण संख्या वाले अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और एक से अधिक बार (किसी भी स्तर पर) परीक्षा में उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।

(त)	आयोग सक्षम प्राधिकारी से उचित प्राधिकरण के अधीन सत्यापन उद्देश्य के लिएअभ्यर्थियों के आधार डेटा का उपयोग कर सकता है।
(थ)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए 'आवेदन फॉर्म सुधार के लिए विंडो'प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एक-बारगी पंजीकरण/ ऑनलाईन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार/ परिवर्तन करने के बाद आवेदन को पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की सूचना के **पैरा-10** में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार राशि का ऑनलाइन भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले आवेदनों को अनदेखा कर दिया जाएगा।
(द)	सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थियों को यह जांचना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित/अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या 'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
(ध)	ऑनलाईन आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थियों को जेपीईजी/ जेपीजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति के तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। शांतनु कुमार एवं अन्य [रिट याचिका (सी) संख्या 234 ऑफ़ 2018]के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 05.03.2020 आदेश के अनुपालन में,अभ्यर्थी की फोटो परीक्षा विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। **फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए।** फोटो में चेहरा सामने से दृश्यमान होना चाहिए। **धुंधले फोटो वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।** यदि अभ्यर्थी द्वारा सही फोटोग्राफ अपलोड नहीं जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। **स्वीकार्य/ अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-XI पर दिए गए है।**
(न)	आवेदन पत्र के अंत में घोषणा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। घोषणा पर सहमत होने/हस्ताक्षर करने से पहले, उम्मीदवारों को भरे गए आवेदन विवरण और घोषणा की सामग्री के माध्यम से जाना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही इस पर सहमत/हस्ताक्षर करना चाहिए कि प्रस्तुत जानकारी सही है। किसी भी छिपाने/गलत बयानी/गलत घोषणा से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(प)	अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले, अभ्यर्थियों से या तो आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प फॉर्म के माध्यम से या पीईटी/ पीएसटी/ डीएमई/ आरएमई/ डीवी के समय संबंधित

	संगठन द्वारा भौतिक रूप से पद (पदों) और संगठन (संगठनों) के लिए वरीयता ली जाएगी। किसी पद / संगठन के लिए किसी अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि उसने इसके लिए अपनी वरीयता की सूचना नहीं दी है। एक बार प्रस्तुत किए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में इसे नहीं बदला जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को ऐसे विकल्पों के चुनने में सावधान रहना चाहिए।निर्धारित समय के भीतर अपनी पद वरीयता (वरीयताओं) को प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम में किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पद और संगठन के लिए वरीयता देने का कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और वे इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा
(फ)	अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे परीक्षा की तारीख, रिक्ति की स्थिति, पीईटी/पीएसटी/डीएमई/आरएमई आदि के समय-सारणी से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए आयोग की वेबसाइटअर्थात, https://ssc.nic.in के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट को भी नियमित रूप से देखते रहें।

अवर सचिव
कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय)

<u>अनुबंध-I</u>

(ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I. एक बारगी पंजीकरण

II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदनपत्र भरना

भाग-I (एकबारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन'पंजीकरण प्रपत्र' और 'आवेदन पत्र'भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें ।

2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहलेनिम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज़ तैयार रखें:
   - क) मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
   - ख) ई-मेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
   - ग) आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा)।
     - i. वोटर आईडी कार्ड
     - ii. पैन
     - iii. पासपोर्ट
     - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
     - v. स्कूल/कॉलेज आईडी
     - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
   - घ) मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने का बोर्ड, अनुक्रमांक और वर्ष के बारे में जानकारी ।
   - ङ) यदि आप किसी दिव्यांगता से पीड़ित हैं, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या ।

3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, http://ssc.nic.in पर 'Login' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।

4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
   - क) मूलभूत विवरण
   - ख) अतिरिक्त जानकारियां तथा संपर्क विवरण
   - ग) घोषणापत्र

5. **'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरणकरें**:
   - क) सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल

डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

ख) क्रम संख्या-1: आधार संख्या / पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नंबरों में से कोई एक नंबर दिया जाना अपेक्षित है ।

ग) क्रम संख्या-2: अपना नाम**ठीक वैसा ही**भरें जैसा कि मैट्रिक परीक्षा (10 वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दिया गया है । यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नामे में कोई बदलाव किया है,तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या 2 ग और 2 घ में करें।

घ) क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही**भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10 वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दिया गया है ।

ङ) क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही**भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10 वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दिया गया है ।

च) क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि**ठीक वैसी ही**भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10 वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दिया गया है ।

छ) क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10 वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:

i. शिक्षा बोर्ड का नाम
ii. अनुक्रमांक
iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

ज) क्रम संख्या-7: लिंग (महिला/पुरुष/ट्रांसजेन्डर)

झ) क्रम संख्या-8: शैक्षणिक योग्यता का का स्तर (उच्चतम)

ञ) क्रम संख्या-9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करनाचाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ट) क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड /पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ठ) अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।

ड) जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर आपका डाटा सहेजा जाएगा तथा आपका पंजीकरण संख्या स्क्रीन पर

प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ढ) आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

ण) अपनी पंजीकृत संख्या को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

त) पासवर्डके सफलतापूर्वक परिवर्तन के बाद, बदले गए पासवर्ड तथा पंजीकरण संख्या का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

थ) सफलतापूर्वकलॉगिन करने पर, आपके द्वारा अब तक भरे गए 'मूलभूत विवरण' के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। यदि अपेक्षित हो तो आप इसमें संशोधन कर सकते है अथवा अपना एक बारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए नीचे दिए गए ‘Next ’ बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं ।

द) क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

ध) क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।

न) क्रम संख्या-13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

प)क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई बेंचमार्क दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी विशिष्ट दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें ।

फ) क्रम संख्या-15 से 18:अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

ब) प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंटआउट लें तथा ‘Final Submit’ से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।

भ) ‘घोषणा’ को ध्यान से पढ़ें और यदि आप घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें ।

म) 'अंतिम सबमिट' पर क्लिक करने पर विभिन्न ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको दोनों ओटीपी में से एक ओटीपी विनिर्दिष्ट स्थान पर दर्ज करना होगा।

6. यद्यपि आप अपने एक बारगी पंजीकरण में संशोधन कर सकते हैं, तथापिअभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है किएकबारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें। गलत या त्रुटिपूर्ण सूचना से आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

7. **आपको पुनः सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।**
8. मूलभूत सूचनाओं को प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

अनुबंध-I क

एक बारगी पंजीकरण फॉर्म के स्क्रीनशॉट्स

BASIC DETAILS

NOTE: Candidates must be cautious while filling up Registration details. Your candidature may get cancelled in case incorrect/ wrong information is furnished.

1. Do you have Aadhaar ? *	○ Yes ◉ No
1a. Aadhaar Number	Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card
1b. Verify Aadhaar Number	
1c. Type of ID *	Driving License Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number
1d. ID Number *	BRHPK2736M
2a. Name *	SAMPLE NAME 1. Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate 2. Please enter name without any salutation (i e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)
2b. Verify Name *	SAMPLE NAME
2c. Have you ever changed Name?	○ Yes ◉ No
2d. New Name / Changed Name	
3a. Father's Name *	SAMPLE FATHER NAME 1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate 2. Please enter name without any salutation (i e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc

3b. Verify Father's Name *	SAMPLE FATHER NAME
4a. Mother's Name *	SAMPLE MOTHER NAME 1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate 2. Please enter name without any salutation (i e Mrs/ Ms/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc
4b. Verify Mother's Name *	SAMPLE MOTHER NAME
5a. Date of Birth (DD/MM/YYYY) *	03/08/1998 Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate
5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) *	03/08/1998
6. Matriculation (10th Class) Examination details :	
(i). Education Board *	Central Board of Secondary Education (CBSE) Education Board of Matriculation Examination
(ii). Verify Education Board *	Central Board of Secondary Education (CBSE)
(iii). Roll Number *	257645 1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate 2. Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s) 3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."
(iv). Verify Roll Number *	257645
(v). Year of Passing *	2017
(vi). Verify Year of Passing *	2017
7a. Gender *	(●) Male ( ) Female ( ) Transgender
7b. Verify Gender *	(●) Male ( ) Female ( ) Transgender
8. Level of Educational Qualification *	Graduation
9a. Mobile Number *	9222222222

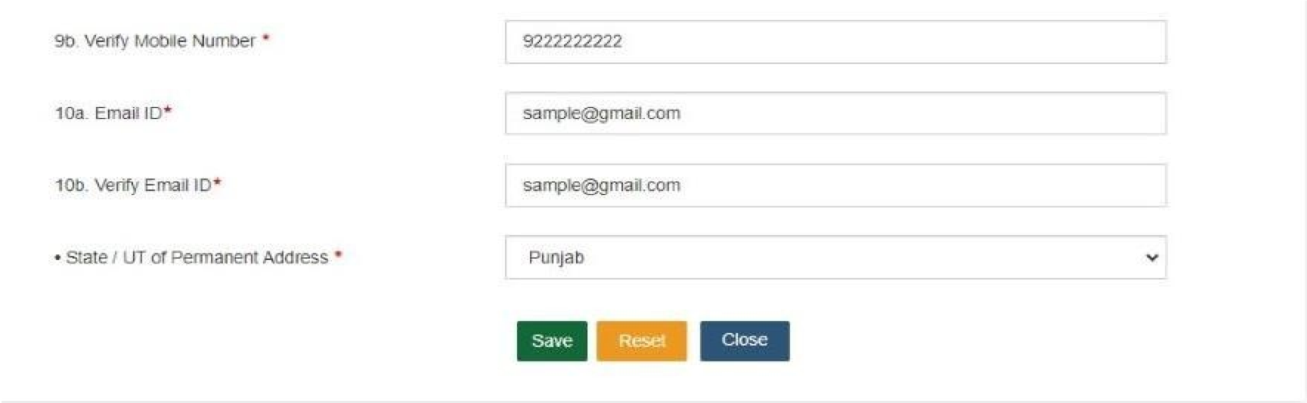

9b. Verify Mobile Number * | 9222222222

10a. Email ID* | sample@gmail.com

10b. Verify Email ID* | sample@gmail.com

• State / UT of Permanent Address * | Punjab

Save | Reset | Close

ADDITIONAL AND CONTACT DETAILS

Edit

11a. Category *	(●) General ( ) EWS ( ) OBC ( ) ST ( ) SC
11b. Verify Category *	(●) General ( ) EWS ( ) OBC ( ) ST ( ) SC
12. Nationality *	Citizen of India
13. Identification Marks*	MOLE
14a. Are you a Person with Benchmark Disability (PwBD)? *	( ) Yes (●) No
14b. Type of Disability	--Select--

NOTE
VH: Blindness and low vision.
HH: Deaf and hard of hearing.
OH: Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.
Others: Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

14c. Disability Certificate Number	
15a. Permanent Address *	SAMPLE PARMANENT ADDRESS
15b. State/ UT *	Punjab
15c. District *	Gurdaspur
15d. PIN Code *	143530
16. Is Present Address same as Permanent Address?	( ) Yes (●) No
17a. Present Address *	SAMPLE PRESENT ADDRESS
17b. State/ UT *	Punjab
17c. District *	Gurdaspur
17d. PIN Code *	143530
18. Contact details for other nationals	

Previous | Save | Next | Reset | Close

DECLARATION

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage,my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

☑ I Agree.

Previous | Take Draft Print | Final Submit | Close

<u>अनुबंध-II</u>

<u>भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)</u>

1. ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें:
   a. हाल का (अर्थात परीक्षा की विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं) जेपीईजी/जेपीजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन किया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ । फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। शांतनु कुमार एवं अन्य के मामले [2018 की रिट याचिका (सि) सं. 234] में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 05.03.2020 के आदेश के अनुसरण में **फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए । फोटोग्राफ बिना टोपी और बिनाचश्मे का होना चाहिए। चेहरे का अग्र भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा । यदि अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटो अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी । स्वीकृत / अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध- XI में दिए गए हैं ।**
   b. जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए गए हस्ताक्षर(10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर की छवि का आयामलगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए।**धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।**
   c. अर्हक शैक्षिक योग्यता का ब्योरा जैसे उत्तीर्ण करने का वर्ष, अनुक्रमांक संख्या, प्रतिशत / सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम इत्यादि।
2. अपने 'पंजीकरण संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
3. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत**"Sub-Inspector in Delhi Police and Central Armed Police Forces Examination 2023'**सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रम सं.- 1 से 13 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण के किसी भी ब्योरे में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने लॉगइन स्क्रीन के बाएं हाथ के कोने में प्रदान की गई 'Modify Registration' टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपर्युक्त संशोधन कर लें।

5. क्रम संख्या-14: क्या आप ऐसी जाति से संबंध रखते हैं जो अन्य पिछड़ा वर्गों की केंद्रीय सूची में सम्मिलित नहीं है परंतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है और दिल्लीपुलिसमेंउप-निरीक्षक पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में तथा अन्य पदों के लिए अनारक्षित रूप में माने जाने के इच्छुक हैं (ऐसे अभ्यर्थियों को दिल्ली पुलिस के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पद के लिए अनारक्षित माना जाएगा)। (कृपया विज्ञप्ति के पैरा सं.-6.1 का संदर्भ लें)।

6. क्रम संख्या-15: क्या आप ऐसी जाति से संबंध रखते हैं जो अन्य पिछड़ा वर्गों की केंद्रीय सूची में सम्मिलित नहीं है परंतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किए गए हैं और दिल्लीपुलिसमेंउप-निरीक्षक पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में तथा अन्य पदों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में माने जाने के इच्छुक हैं (मांगे जाने पर ईडब्ल्यूएस का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।) (ऐसे अभ्यर्थियों को दिल्ली पुलिस के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पद के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग माना जाएगा)।(कृपया विज्ञप्ति के पैरा सं.-6.1 का संदर्भ लें)।

7. क्रम संख्या-16: यदि आप दिल्ली पुलिस के सिपाही, प्रधान सिपाही और सहायक उप-निरीक्षकों में से एक विभागीय अभ्यर्थी हैं, जिनकी सेवा न्यूनतम तीन वर्ष की है और जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं है (अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 33 वर्ष और अजा/अजजा हेतु 35 वर्ष), तो 'Yes' का चयन करें। (कृपया विज्ञप्ति के पैरा सं.-1, 6.1 और 16.10 का संदर्भ लें)।

8. क्रम संख्या-17.1 से 17.2: यदि आपदिनांक 15.08.2023 तक एनसीसी प्रमाणपत्र धारक हो जाएंगे तो ‘Yes’ का चयन करें और एनसीसी प्रमाणपत्र का विवरण प्रदान करें(कृपया विज्ञप्ति के पैरा सं.-12.5 का संदर्भ लें)।

9. क्रम संख्या-18: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें । आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं । वरीयता क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए कृपया विज्ञप्ति के पैरा सं.-11.1 का संदर्भ लें)।

10. क्रम संख्या-19: यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें।सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है इसलिए वे ‘No’ का चयन करें (कृपया विज्ञप्ति के पैरा सं.-5.4 से 5.9 का संदर्भ लें)।

11. क्रम संख्या-20: यदि आप दिल्ली पुलिस के उप – निरीक्षक पद के लिए भूतपूर्व सैनिकों के विशेष कोटा हेतु पात्र हैं तो ‘Yes’ का चयन करें। कृपया परीक्षा कि विज्ञप्ति के **पैरा-3.3** का संदर्भ लें ।

12. क्रम संख्या-21: यदि आप आयुसीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, आयु छूट की उपयुक्त श्रेणी का चयन करें(कृपया विज्ञप्ति के पैरा सं.- 5.2 का संदर्भ लें)।

13. क्रम संख्या-22: अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यतादर्शाएं।

14. क्रम संख्या-23: शैक्षणिक योग्यता पात्रता का विवरण दें (कृपया विज्ञप्ति के पैरा सं.- 7.1 से 7.4 का संदर्भ लें)। ।

15. क्रम संख्या-24: कृपया परीक्षा कि विज्ञप्ति के **पैरा-18** देखें और तदनुसार भरें ।

16. क्रम संख्या-25, 26 तथा 27:वर्तमान तथा स्थायी पता से संबंधित सूचना एक बारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी।

17. अपना हाल का **बिना टोपी/बिना चश्मे** वाला फोटोग्राफ (परीक्षा की विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए) अपलोड करें, जैसाकि ऊपर क्रम संख्या 1(क) पर विनिर्दिष्ट किया गया है । **धुंधली फोटो वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। स्वीकृत / अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने <u>अनुबंध- XI</u> में दिए गए हैं। अभ्यर्थी उसका संदर्भ लें ।**

18. उपर्युक्त क्रम संख्या 1(ख) के निर्देशानुसार अपना हस्ताक्षर अपलोड करें । **धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा ।**

19. क्रम संख्या-28:उपर्युक्त अपलोड की गई फोटो परीक्षा विज्ञप्तिप्रकाशित होने की तिथि सेतीन महीने अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए । यदि अपलोड की गयी फोटो परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी नहीं है तो 'Yes' पर क्लिक करें।

20. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि स्वीकार है तो "Iagree" चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।

21. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। **यदि आप किसी भी प्रविष्टि में संशोधन करना चाहते है तो 'Edit / Modify' बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपयुक्त संशोधन कर लें।** जब आप संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही भरी है तो, जानकारी का पूर्वावलोकन तथा सत्यापन करें और आवेदन जमा कर दें ।

22. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

23. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई,नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन मोड द्वारा जमा किया जा सकता है।

24. जबआवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, तो इसे'अनंतिम रूप से'स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति **'आवेदन प्राप्त (विषयवस्तु सत्यापित नहीं)'** के रूप में इंगित की जाएगी। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, आपको ऑनलाईन आवेदन से संबन्धित शिकायतों, यदि कोई हो, को संबोधित करने के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट देना होगा ।

अनुबंध-II क

ऑनलाइन आवेदनपत्र के स्क्रीनशॉट्स

Sub-Inspector in Delhi Police and Central Armed Police Forces Examination, 2023

Instructions

PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE NAME
2. New / Changed Name:	
3. Father's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE FATHER NAME
4. Mother's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE MOTHER NAME
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY): (As per the Matriculation Certificate)	03/08/1998
6. Age as on 01/08/2023:	24.11
7. Gender:	Male
8. Category:	UR
9. Nationality:	Citizen of India
10. Mark of Visible Identification:	MOLE
11. Matriculation (10th Class) Examination Board:	Central Board of Secondary Education (CBSE)
12. Matriculation (10th Class) Roll No.:	3489W
13. Matriculation (10th Class) Year of Passing:	2017
14. Do you belong to a caste not included in Central List of OBCs but notified as OBC by the Govt of NCT of Delhi and wish to be treated as OBC for SI in Delhi Police and UR for other Posts. * Please refer to the Notice of Examination, Para No. 6.1	○ Yes ◉ No

15. Do you belong to a caste not included in Central List of OBCs but notified as OBC by the Govt of NCT of Delhi and wish to be treated as OBC for SI in Delhi Police and EWS for other Posts.* ○ Yes ○ No

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 6.1

16. Are you a Departmental Candidate of Delhi Police?: * ○ Yes ◉ No

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 1, 16.9 & 16.10

Verify whether you are a Departmental Candidate of Delhi Police?: * ○ Yes ◉ No

17.1. Are you a National Cadet Corps (NCC) Certificate holder? : * ○ Yes ◉ No

Please refer to the Notice of Examination, Para 12.5

Verify whether you are a NCC Certificate holder?:* ○ Yes ◉ No

17.2. Type of the NCC Certificate: * --Please Select--

Confirm Type of NCC Certificate: --Please Select--

18. Preference of Examination Centres: * NWR-Amritsar(1404 | NWR-Chandigarh(16 | NWR-Jalandhar(140:

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11.1

19.1. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? :* ○ Yes ◉ No

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 5.4 to 5.9

19.2. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

19.3. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

19.4. Length of Service in the Armed Forces:

19.5. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM) :

○ Yes ○ No

19.6. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):

20. Whether eligible for special quota as ESM for Delhi Police :

○ Yes ○ No

Please refer to the Notice of Examination, Para No 3.3

21.1. Whether seeking Age Relaxation? :*

○ Yes ◉ No

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 5.2

21.2. If Yes, Age Relaxation code: --Select Age Relaxation Code--

22. Highest Educational Qualification: * BE (13)

23. Details of Qualifying Educational Qualification:* Graduation

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.1 to 7.4

Status	Passing Year	State/ UT of Board/ University	Name of Board/ University	Roll No	Percentage	CGPA
Passed	2021	Punjab	PUNJABI UNIVERSITY	334455	98	

24. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM.No.39020/1/2016-Estt.(B) dated 21/06/2016? *

◉ Yes ○ No

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 18

25. Correspondence Address:	Sample Present Address
State:	Punjab
District:	Gurdaspur
Pin Code:	143530
26. Permanent Address	Sample Parmanent Address
State:	Punjab
Pin Code:	143530
Mobile Number:	9222222222
Email:	sample@gmail.com

27. Contact Details for Other Nationals:

Photograph and Signature

Upload a photograph without Spectacles/Cap taken on or after 23-April-2023*

Allowed File Size: 20 KB to 50 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5 cm (height)

Choose File No file chosen

Upload Signature (Signature should not be blurred) *

Allowed File Size: 10 KB to 20 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height)

Choose File No file chosen

28. Whether the photograph has been taken on or after 23-April-2023?: (•) Yes ( ) No

Declaration

1. I have read the Notice of the Examination, and accept all the Terms & Conditions of the Notice of the Examination.

2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the Notice of Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/ terminated.

3. I declare that the Photograph uploaded in Application form is not more than 3 months old.

4. I agree to authorize SSC to use my Aadhaar data for verification purpose.*

*Verification will be subject to authorization from competent authority.

☑ I Agree

UYHJD

Try Another

UYHJD

Preview | Reset | Close

<u>अनुबंध-III</u>

<u>सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र</u>

मैं एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) ______________ (रैंक)________________ (नाम)__________________________ (दिनांक)______________ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थानः (कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांकः कार्यालय की मुहरः

<u>अनुबंध–IV</u>

<u>भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र</u>

मैं ...., अनुक्रमांक ....

.... परीक्षा, 20..... के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुन: रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुन: रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है।मैंने दिनांक ....को .... कार्यालय में ....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । मैं एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है।मैंने दिनांक ....को .... कार्यालय में ....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एततद्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा ।

हस्ताक्षर: ....

नाम: ....

अनुक्रमांक: ....

दिनांक: ....

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि: ....

कार्यमुक्ति की तिथि: ....

अंतिम इकाई / कोर: ....

मोबाइल नंबर: ....

ईमेल आईडी:.......................

<u>अनुबंध – V</u>

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*______________ पुत्र/पुत्री____________________ निवासी ग्राम/कस्बा* _____________ जिला/संभाग* ____________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* __________ के ________________ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैः-

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
@संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*
@संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित ।]
@संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 _________
@अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान
(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 _________
@संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
@संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
@संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
@संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
@ संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968
@संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968
@संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
@संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
@संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
@संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
@ संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991

@ संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
@अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002
@संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@ संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _________ के माता/पिता श्री/श्रीमती _________ निवासी _________ग्राम/कस्बा* _________ जिला/संभाग* _________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _________ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _________ जाति/ जनजाति से संबंधित हैं जो _________ दिनांक _________ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी _________ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*_________जिला/संभाग* _________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _________ में रहता है ।

हस्ताक्षर _________

**पदनाम_________

स्थान _________

(कार्यालय की मुहर सहित)

दिनांक_________

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।
टिप्पणीः- यहां प्रयुक्त शब्दों का सामान्यतः वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/ +सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट/ एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।

(+प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट से नीचे के रैंक का न हो)

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और / या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

(v) प्रशासक/ प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

<u>अनुबंध–VI</u>

<u>(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ________ सुपुत्र/सुपुत्री ________

ग्राम/कस्बा ________ जिला/संभाग ________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ________ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजकि न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के

संकल्प सं --------------- दिनांक ------* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

श्री/श्रीमती/कु0 --------------- तथा/या उनका परिवार सामान्यतः--------------- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के --------------- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/ 22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993, का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था(रेस), दिनांक 9 मार्च, 2004, का.स. 36033/3/2004-स्था(रेस), दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 और का.ज्ञा.सं. 36033/3/2013-स्था(रेस), दिनांक 27 मई 2013** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

हस्ताक्षर........................

पद..............................$

दिनांक:

मुहर

---

*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

** समय समय पर यथा संशोधित

$ अन्य पिछड़े वर्गों का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची वही है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकारप्राप्त प्राधिकारियों की सूची है।

टिप्पणी-:- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

अनुबंध – VII

.... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या _____________ दिनांक __________________

वर्ष .... के लिए मान्य

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ____________________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी ________________स्थायी निवासी _____________________गाँव/गली _______________ डाकघर ______________________ जिला ______________________ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र _____________________ पिन कोड ___________ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष .... के लिए उनकी / उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/ उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;

II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी __________________________ का संबंध _______________ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर..................................

नाम ....

पदनाम...................................

अभ्यर्थी अभ्यर्थी के हाल ही का पासपोर्टअभ्यर्थी के हाल ही का पासपोर्ट आकार

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/ पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है ।

अनुबंध-VIII

लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी________________________________पुत्र / पुत्री श्री _______________________,गाँव___________________, तहसील / तालुका_____________________ जिला______________राज्य______________के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

*उपर्युक्तसमस्त क्षेत्र के निवासी भारत संघ के अर्धसैनिक बलों में भर्ती हेतुलंबाई माप में छूट के लिए _______________ (गढ़वाली, कुमांऊनी, डोगरा, मराठा, सिक्किमी) माने जाते हैं ।

* वह हिमाचल प्रदेश / लेह और लद्दाख / कश्मीर घाटी / पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित हैं जिस पर भारत संघ के अर्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु लंबाई की माप में छूट के लिए विचार किया जाता है ।

* वह अनुसूचित जनजाति के / की हैं ।

हस्ताक्षर

जिला मैजिस्ट्रैट / मंडलीय मैजिस्ट्रैट / तहसीलदार

दिनांक:

स्थान:

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें।

अनुबंध-IX

दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र

(कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों के अनुसार, संख्या _______________ रैंक _______________ नाम _______________ जिन्हें _______________ के रैंक पर _______________ को _______________ में नियुक्त किया गया था, वे _______________ में लगातार सेवा कर रहे हैं और तीन साल की नियमित सेवा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है । वे इस समय इस यूनिट _______________ (यूनिट का नाम) में तैनात हैं ।

सेवा के दौरान उन्हें बड़ा दंड ________________ और ______________________छोटा दंड दिया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

नाम ----------------

कार्यालय की मुहर

अनुबंध–X

आवश्यक शैक्षिक योग्यता

शैक्षिक योग्यता	**कोड**
बी.ए.	05
बी.ए(ऑनर्स)	06
बी.कॉम	07
बी.कॉम (ऑनर्स)	08
बी.एससी	09
बी.एससी (ऑनर्स)	10
बी. एड	11
बी.एल.एल	12
बी.ई.	13
बी.टेक	14
ए.एम.आई.ई. (भाग क एवं भाग ख)	15

बीएससी (इंजी.)	16
बीसीए	17
बीबीए	18
सेना द्वारा जारी स्नातक प्रमाणपत्र (भारतीय सेना, वायु सेना, नौसेना)	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी. फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सीए	23
पीजी डिप्लोमा	24
एम.ए.	25
एम कॉम	26
एम एससी	27
एम. एड	28
एल एल एम	29
एम ई	30
एम टेक	31
एम एससी (इंजी)	32
एमसीए	33
एमबीए	34
अन्य	35

अनुबंध–XI

फोटोग्राफ के नमूने

स्वीकृत फोटोग्राफ

अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने

अत्यधिक रंगीन

बहुत नजदीक

टोपी के साथ

धुंधले फोटोग्राफ

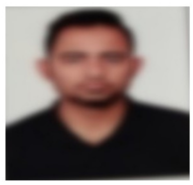

उल्टी फोटो अत्यधिक गहरा रंग धूप वाले चश्मे के साथ

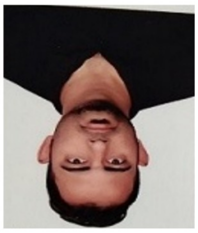

तिरछी दृश्यमानफोटो

बहुत छोटी

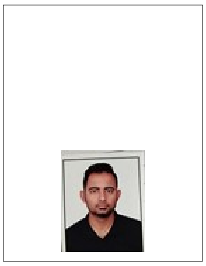

चश्मे के साथ